<u> 1 🍑 आपराधिक प्रकरण कमांक 944 / 2014</u>

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण क्रमांक 944 / 2014</u> संस्थापित दिनांक 29 / 10 / 2014

AN LALES AN

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— मालनपुर, जिला भिण्ड म०प्र०

..... अभियोजन

बनाम

- 1. शिवनारायण पुत्र सुखदेव उम्र 55 साल
- 2. जितेन्द्र सिंह पुत्र शिवनारायण उम्र 19 साल
- 3. परमाल सिंह पुत्र शिवनारायण सिंह उम्र 21 साल निवासीगण जिमलेदार का पुरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा—294, 325 एवं 506 भाग—2 भा0द0सं०) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्रीमती हेमलता आर्य।) (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री प्रवीण गुप्ता।)

<u>::- नि र्ण य -::</u>

(आज दिनांक 19/01/2018 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 06/10/14 को शाम 06:00 बजे फरियादी माखनसिंह के मकान के बगल में ग्राम जिमलेदार का पुरा में सार्वजिनक स्थल पर फरियादी माखनसिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी माखनसिंह को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय फरियादी माखनसिंह की लाठी सिरए से मारपीट कर उसे अस्थिमंग कारित कर स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित करने हेतु भा०द०सं० की धारा 294, 506 भाग—2 एवं 325 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 06.10.14 को शाम के 06:00 बजे फरियादी माखनसिंह अपने मकान के बगल में खड़ा था उसी समय शिवनारायण, परमाल, जितेन्द्र, मुन्नीदेवी आए थे सभी उसे मां बहन की भद्दी भददी गालियां देने लगे थे उसने आरोपीगण को गालियां देने से मना किया था तो इसी बात पर जितेन्द्र ने उसके लाठी मारी थी जो उसके सि के पीछे की तरफ लगी थी परमाल ने उसके लाठी मारी थी जो उसके बांय बखा में लगी थी उसे मूदी चोट आई थी

शिवनारायण ने उसके पीठ में दोहिनी तरफ लाठी मारी थी मन्नी देवी ने उसके दांहिने पैर की एडी में सरिया मारा था जितेन्द्र ने उसके दूसरी लाठी मारी थी जो उसके दांहिने हाथ के पंजे पर लगी थी। वह गिर गया था सभी आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी मौके पर उसका भाई इंदल एवं लडका आकाश आ गए थे तथा गांव के अन्य लोग आ गए थे जिन्होंने बीच बचाव किया था व घटना देखी थी जाते सयम आरोपीगण ने उसे जान से खतम करने की धमकी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मालनपुर में अप०क० २०३/14 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपीगण को गिरफतार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में विचारण के दौरान आरोपियाँ मुन्नीदेवी की मृत्यू हो जाने के कारण उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है।

- उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
- द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया हैकि वह निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूटा फंसाया गया है।
- इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :--5.
- क्या आरोपीगण ने दिनांक 06.10.14 को शाम 6:00 बजे फरियादी माखनसिंह के मकान के बगल में ग्राम जिमलेदार का पुरा में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी माखनसिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया?
- क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी माखनसिंह को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- क्या घटना दिनांक को फरियादी माखनसिंह के शरीर पर उपहतियां थी? यदि हां तो उनकी प्रकृति।
- क्या उक्त उपहतियां फरियादिया माखनसिंह को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही स्वेच्छया कारित की गई?
- उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी माखनसिंह आ०सा०१, साक्षी इंदल आ०सा०२, डा आलोक शर्मा आ०सा०३, आकाश अ०सा०४ एवं ए एस आई श्रीनिवास अ०सा०५ को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी केशवसिंह वा0सा01 को परीक्षित कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी माखनसिंह अ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 06.10.14 के शाम छः बजे की है वह अपने दरवाजे पर बैटा हुआ था तभी चारों आरोपीगण आए थे और उसे मां बहन की गालियां देने लगे थे जो उसे सुनने में

बुरी लगी थीं। साक्षी ऐंदल अ०सा०२ ने आरोपी जितेन्द्र द्वारा गाली देना बताया है। साक्षी आकाश अ०सा०४ ने सभी आरोपीगण द्वारा उसके पिता को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देना बताया है।

- 8. इस प्रकार फिरयादिया माखनिसंह अ०सा०1 एवं आकाश अ०सा०4 ने अपने कथन में सभी आरोपीगण द्वारा मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिया जाना बताया है जबिक साक्षी ऐंदल अ०सा०2 का कहना है कि आरोपी जितेन्द्र ने आकर गाली दी थी इस प्रकार उक्त बिंदु पर फिरयादिया माखनिसंह अ०सा०1 एवं आकाश अ०सा०4 के कथन ऐंदल अ०सा०2 के कथन से विरोधाभाषी रहे हैं। इसके अतिरिक्त फिरयादिया माखनिसंह अ०सा०1 एवं आकश अ०सा०4 ने अपने कथन में सभी आरोपीगण द्वारा मां बहन की गदी गंदी गालियां दिया जाना बताया है परंतु उक्त साक्षी गण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया हैिक वास्तिवक रूप से किस आरोपी ने कौने से अश्लील शब्द उच्चारित किए थे जिन्हें सुनकर उन्हें क्षोभ कारित हुआ था। जहां कई आरोपीगण पर गालियां दिए जाने का आरोप हो वहां फिरयादी एवं साक्षीगण का मात्र यह कह देना प्याप्त न होगा कि सभी आरोपिगण ने गालियां दी थी साक्ष्य प्रत्येक आरोपी के विरूद्ध विनिदिष्ट स्वरूप की होनी चाहिए। सभी आरोपीगण के विरूद्ध सामान्य स्वरूप की साक्ष्य स्वीकारयोग्य नहीं होगी।
- 9 प्रस्तुत प्रकरण में फरियादिया माखनसिंह अ०असा०1 एवं आकाश अ०सा०4 ने सभी आरोपीगण द्वारा मां बहन की गालियां दिया जाना तो बताया है परंतु यह नहीं बताया है कि वास्तिवक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किए थे जिन्हें सुनकर फरियादी को क्षोभ कारित हुआ था ऐसी स्थिति में भादसं की धारा 294 के संघटक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भादसं की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

- 10. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी माखनिसंह अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ऐंदल अ0सा02 ने भी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है।
- 11. इस प्रकार फरियादी माखनिसंह अ०सा०1 एवं ऐंदल अ०सा०2 ने सभी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी को सुनकर उन्हें भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भा०द०सं० की धारा 506 भाग—2 को प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी वास्तविक हो एवं उसे सुनकर फरियादी को भय अथवा अभित्रास कारित हुआ हो मात्र क्षणिक आवेश में दी गई तुच्छ धमिकयों से भा०द०सं० की धारा 506 भाग—2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी माखनिसंह अ०सा०1 एवं ऐंदल अ०सा०2 ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है परंतु यह नहीं बताया है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी को सुनकर उसे भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भा०द०सं० की धारा 506 भाग—2 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा०द०सं० की धारा 506

भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3

- 12. उकत विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 06.10.14 को सामुद्रायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना मालनपुर के आरक्षक राकेश द्वारा लाए जाने पर आहत माखनसिंह का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने माखनसिंह के शरीर पर सात चोटें पाई थी जिनमें से चोट क0 1 सिर में पीछे की तरफ फटा हुआ घाव चोट क02 दांहिनी हथेली में पीछे की तरफ नीलगू निशान चोट क03 बांय कंधे पर नीलगू निशान चोट क04 बांय बखा के नीचे नीलगू निशान चोट क05 दांहिने बखा पर लालिमा लिए हुए नीलगू निशान चोट क06 दांहिने घुटने पर फटा हुआ घाव एवं चोट क07 दांहिनी अग्र भुजा पर नीलगू निशान स्थित था। उसके मतानुसार उक्त चोटें कडे एवं मोथरे वस्तु से आना संभावित थी जो उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व 6 घण्टे के अंदर की थी चोट क0 2,3,5,7 की प्रकृति जानने के लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी शेष सभी चोटें साधारण प्रकृति की थीं उसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 07.10.14 को आहत का एक्सरे परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने आहत के दांहिन हाथ की चौथी मेटाकार्बल अस्थि में अस्थिभंग होना पाया था। उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी04 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण क पद क0 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटें गिरने से आना संभव है।
- फरियादी माखनसिंह अ०सा०1 ने भी अपने कथन में झगडे के दौरान उसके सिर पीठ 13. बांय बखा दांहिने पैर एवं दांहिने हाथ के पंजे में चोट आना बताया है तथा यह भी व्यक्त किया है कि उसके पंजे की उंगलियां टूट गई थी। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंत् प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन घटना दिनांक को उसके शरीर पर चोटें होने के बिंदु पर अखंडनीय रहा है। साक्षी ऐंदल अ०सा०२ ने भी फरियादिया माखनसिंह के सिर, दांहिने बखा, पीट, पैर एवं दांहिने हाथ के पंजे में चोट आना बताया है साक्षी आकाश अ0सा04 ने भी उसके पिता के सिर हाथ पीठ पैर की एडी एवं दांहिने हाथ के पंजे में चोट आना बताया है उक्त दोनों ही साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन घटना दिनांक को फरियादिया माखनसिंह के शरीर पर उपहति होने के बिंदू पर अखंडनीय रहा है। प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादिया माखनसिंह अ०सा01 के शरीर पर चोटें होने का उल्लेख है इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादिया माखनसिंह अ०सा०१ का कथन प्र०पी०1 की प्रथम सूचना रिपौर्ट से भी पुष्ट रहा है। उक्त बिंदु पर फरियादिया माखनसिंह के कथन की पुष्टि ऐंदल अ0सा02 डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा03 एवं आकाश अ0सा4 द्वारा भी की गई है। उक्त सभी साक्ष्जीगा का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादिया माखनसिंह के शरीर पर उपहति होने के बिंद पर अखंडनीय रहे हैं। डॉ0 आलोक शर्मा चिकित्सकीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी हैं उनकी फरियादीगण से कोई हितबद्धता एवं आरोपीगण से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादिया माखनसिंह के शरीर पर उपहति होने के बिंदू पर अखंडनीय भी रहा है एवं अखंडनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखंडनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है।

<u> 5 🔗 आपराधिक प्रकरण कमांक 944 / 2014</u>

14. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक को फरियादिया माखनसिंह के शरीर पर उपहतियां थीं जिनकी प्रकृति गंभीर थी।

विचारणीय प्रश्न क0 4

- 15. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या फिरयादी माखनिसंह को उक्त उपहितयां आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही स्वेच्छ्या कारित की गई थी? उक्त संबंध में फिरयादी माखनिसंह अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 06.10.14 की शाम छ' बजे की है वह अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था तभी आरोपी शिवनारायण, जितेन्द्र, परमाल और मुन्नीदेवी आए थे। आरोपीगण ने उससे गालियां दीथी एवंउससे कहा था कि ''तुम्हें अभी देखते हैं तुम हमारी जगह में दीवाल क्यों खडी कर रहे हो।'' फिर जितेन्द्र ने उसके लाठी मारी थी जो उसके सिर में लगीथी शिवनारायण ने उसकी पीठ में लाठी मारी थी परमाल ने उसके बांय बखा में लाठी मारी थी मुन्नीदेवी ने उसके दांय पैर की ऐडी के पास लाठी मारी थी जितेन्द्र ने उसके दांहिने हाथ के पंजे में लाठी मारी थी जिससे उसके पंजे की उंगलियों में फैक्चर हो गया था मौके पर उसके बेटे आकाश एवं ऐंदल ने उसे बचाया था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना मालनपुर में की थी जो प्र0पी01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 16. प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि आकाश उसका लडका ऐंदल सिंह उसका चचेरा भाई तथा इंन्द्रवीर और सोनू उसके रिश्तेदार हैं। पद क05 में उक्त साक्षीने व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 06.10.14 के शाम 5—6 बजे की है वह अपने पुराने वाले दरवाजे के चबूतरे पर बैटा था इसी पुराने वाले दरवाजे के चबूतरे पर घटना हुई थी। उसके साथ गौण में कोई घटना नहीं हुई थी। खरंजा वाली रोड के उपर जो चबूतरा है उसी पर घटना हुई थी। पद क06 में उक्त साक्ष्मी का कहना है कि उसे घटना में सात चोटें आई थी उसने सातों चोटें पुलिस को बताई थी उसने मुख्यपरीक्षण में पांच चोटें गलत लिखाई हैं सात चोटें सही हैं। घटना शुरू होने के समय आकाश एवं ऐंदल सिंह मोके पर मौजूद थूं। पद क07 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह शाम 6 बजे थाना मालनपुरपहुंच गया था। 6 बजे ही उसने रिपोर्ट लिखाई थी रात्रि लगभग साढे नौ बजे वह गोहद अस्पताल पहुंचा था डॉक्टर ने उसे रात को ही अस्पताल में भर्ती कर लिया था दूसरे दिन अस्पताल में उसका एक्सरा व अन्य इलाज हुआ था। वह 8 तारीख को अपने घर 12—1 बजे आ गया था। पद क08 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र0पी02 के नक्श्रेमोंके में उसने घटनास्थल गोडा बताया था तथा आज उसने घटनास्थ्लल पुरानावाला चबूतरा बताया है एवं स्पष्ट किया है कि गौडा एवं चबूतरा दोनो लगे—लगे हैं।
- 17. साक्षी ऐंदल सिंह अ०सा०२ एवं आकाश अ०सा०४ ने भी फरियादी माखनसिंह अ०सा०1 के कथन का पूर्णतः समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी माखनसिंह की लाठियों से मारपीट किए जाने बावत प्रकटीकरण किया है।
- 18. साक्षी ए एस आई श्रीनिवास यादव अ०सा०५ ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

- 19. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी एवं साक्षी एक ही परिवार के सदस्य हैं आभियोजन द्वारा किसी स्वंतत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 20. आरोपीगण की ओर से उक्त संबंध में साक्षी केशवसिंह वा0सा01 को परीक्षित कराया गया है उक्त साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्कत किया है कि दिनांक 06.10.14 को शाम 6 बजे वह शिवनारायण के घर रूपये लेने गया था तो शिवनारायण की पितन मुन्नीबाई कंडे लेने के लिए गोडे में गई थी तो माखनसिंह मुन्नीबाई को गाली गलोच करने लगा था माखनसिंह चबूतरे से फिसल गया था और पत्थरों पर गिर गया था उसने माखनसिंह को उठाया था फिर माखनसिंह के घरवाले आ गए थे जो उसे मालनपुर ले गए थे। दूसरे दिन पुलिस शिवनारायण के घर आई थी तब जानकारी मिली थी कि माखनसिंह ने रिपोर्ट कर दी है।
- 21. प्रस्तुत प्रकरण में बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा सर्वप्रथम यह तर्क किया गया है कि प्रकरण में फरियादी माखनिसह एवं साक्षी एंदल तथाआकाश एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं हितबद्ध हैं अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्ष्णित नहीं कराया गया है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण में फरियादी माखन सिंह एवं साक्षी एंदल तथा आकाश एक ही परिवार के सदस्य है तथा अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी के कथनो की स्वतंत्र साक्षियों से संपुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है यदि फरियादी के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि उसके कथनों की पुष्टि स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गई है। मात्र हितबद्ध होने से किसी व्यक्ति के कथन को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी एवं साक्षीगण के कथन इतने विश्वसनीय हैं जिसके आधार पर आरोपीगण को दोषारोपित किया जा सकता है।
- 22. प्रस्तुत प्रकरण में फिरियादी माखनिसंह अ०सा०१ ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह अपने दरवाजे पर बैठा था तभी आरोपी शिवनारायण जितेन्द्र परमाल एवं मुन्नीदेवी वहां आए थे दीवाल के उपर आरोपीगण उससे विवाद करने लगे थे फिर जितेन्द्र ने उसके सिर में लाठी मारी थी शिवनारायण ने उसके पीठ में लाठी मारी थी परमाल ने उसके बांय बखा में लाठी मारीथी मुन्नीदेवी ने उसकी एडी में सिरया मारा थातथा जितेन्द्र ने उसके दांहिने हाथ के पंजे में लाठी मारी थी जिससे उसके पंजे की उंगलियों में अस्थिभंग हो गया था। मौके परआकाश और ऐंदल ने उसे बचाया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षीने व्यक्त किया है कि घटना उसके पुराने चबूतरे पर हुई थी तथा उसके साथ गोडा में कोई घटना नहीं हुई थी। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारातर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि प्र0पी02 के नक्शेमौके में घटनास्थल गोडा बताया गया है तथा फरियादी माखनिसंह अ०सा01 ने न्यायालय के समख अपने कथन में घटनास्थल पुराना चबूतरा बताया है प्रकरण में घटनास्थल के सबंध में विरोधाभाष है

<u> 7 🌺 आपराधिक प्रकरण कमांक 944 / 2014</u>

जिससे अभियोजन घटनासंदेहास्पद हो जाती है परंतु बचाव पक्ष अध्विक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है यद्यपि फरियादी माखनसिंह अ०सा०1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क०5 में यह बताया है कि उसके साथ घटनाचबूतरे पर कारित हुई थी गोडा में ाकेई घटना नहीं हुई थी परंतु प्रतिपरीक्षण के पद क०8 में उक्त साक्षी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि चबूतरा और गोडा दोनों लगे हुए है। फरियादी के उक्त कथन से यह दर्शित है कि गौडा एवं चबूतरा दोनों पास—पास हैं ऐसी स्थिति में मात्र उक्त विसंगति से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

- 23. फरियादी माखनिसंह अ०सा०१ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि उसे घटना में सात चोटें आई थी तथा उसने अपने मुख्यपरीक्षण में जो पांच चोटें लिखाई थी वह गलत है उसके सात चोटें आई थी। उक्त संबंध में यहउल्लेखनीय है कि उक्त बिंदु पर फरियादी माखनिसंह अ०सा०१ के कथन अपनेपरीक्षण केदौरान किंचित विरोधाभाषी रहे हैं एवं मुख्य परीक्षण के दौरान फरियादी माखनिसंह ने उसके मारपीट में सिर, पीठ, बांय बखा, दांहिने पैर की एडी एवंदांहिने हाथ के पंजे में चोट आना बताया था परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि घटनादिनांक ०६.१०.१४ की है एवं फरियादी माखनिसंह अ०सा०१ के कथन न्यायालय में दिनांक 23.09.15 को हुए हैं ऐसी स्थिति में समय का अंतराल होने के कारण फरियादी माखनिसंह की स्मृति क्षीण होना स्वाभाविक है। फरियादी माखनिसह की चिकित्सकीया रिपोर्ट प्र०पी०३ में भी फरियादी के सात चोटें होनावर्णित हैं ऐसी स्थिति में फरियादी माखनिसंह के मात्र उक्त कथन से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।
- 24. फरियादी माखनसिंह अ०सा०१ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यहस्वीकार किया है कि गोडा आरोपीगण का है एवं विवेचक श्रीनिवास अ०सा०५ ने भी यह स्वीकार किया है कि फरियादी हाटनास्थल वाली जगह को अपनाबताते हैं तथा घटनास्थल वाली जगह आरोपीगण की है यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि गोडा वाली जगह आरोपीगण की है तो भी प्रस्तुत प्रकरण गोडा की जगह के स्वामित्व से संबंधित नहीं है। ऐसी स्थिति में मात्र उक्त तथ्य से भी अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।
- 25. फरियादी माखनसिंह अ०सा०1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि पुलिस ने रिपोर्ट वाले दिन ही उसका बयान लिया था इसके बाद कोई बयान नहीं लिया था अगर रिपोर्ट वाले दिन के बादउसका कोई बयान केस डायरी में लगा हो तो वह सही नहीं है। इस प्रकार फरियादी माखनसिंह अ०सा०1 का कहना है कि पुलिस ने घटअना वाले दिन अर्थात ०६.10.14 को हीउसका बयान लिया था जबकि अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित है कि फरियादी माखनसिंह का पुलिस द्वारा धारा 161 दप्रसं के अंतर्गत कथन दिनांक ०७.10.14 को लिया गया है यद्यपि उक्त बिदु पर फरियादी माखनसिंह अ०सा०1 के कथन उसके पुलिस कथन से पुष्ट नहीं रहे हैं परंतु समय का अंतराल हो जाने के कारण फरियादी की स्मृति क्षीण हो जानासंभावित है एवं उक्त विसंगती इतनी तात्विक भी नहीं है जिसके कारण संपूर्ण अभियेजन घटना को ही संदेहास्पद मान लिया जाए।
- 26. जहां तक साक्षी ऐंदल अ०सा०२ एवं आकाश अ०सा०४ के कथन का प्रश्न है तो साक्षी ऐंदल अ०सा०२ ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण द्वारा माखन सिंह की लाठियों से मारपीट करना बताया है तथा यह भी बताया है कि वहउस समय घर पर था वह झगडे की आवाज सुनकर बाहर आया था तथा

उसने देखा था कि आरोपीगण माखनिसंह को मार रहे थे फिर उसने और आकाश ने आकर बीच बचाव किया था। यद्यपि प्रतिपरीक्षण के पद क04 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि जब वह बाहर आया था तो माखनिसंह जमीन पर डले थे तथा आरोपीगण निकल रहे थे परंतु प्रतिपरीक्षण के पद क0 8एवं 9 में उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उसने आरोपीगण को मारपीट करते हुए देखा था एवं उसने बचाने का प्रयास किया था।

- 27. साक्षी ऐंदल अ०सा०२ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि हल्ला सुनकर माखनिसंह की पिन सीमा तथा उसकी मां घर से बाहर नहीं आई थी उक्त बिंदु पर बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि यह अत्यंत अस्वाभाविक है कि पित की मारपीट हो रही हो एवं पिन पित को बचाने के लिए घर के बाहर न आए साक्षी ऐंदल द्वारा यह बताया गया है कि माखनिसंह की मारपीट होते वक्त आवाज सुनकर भी माखनिसंह की पिन सीमा बाहर नहीं आई थी यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। सामान्यतः ग्रामीण परिवेश की मिहलाएं झगड़े से दूर रहती हैं ऐसी स्थित में यह अत्यंत स्वाभाविक है कि माखनिसंह की पिन सीमा झगड़े की आवाज सुनकर भी बाहर न निकली हो एवं उक्त तथ्य से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।
- 28. साक्षी आकाश अ०सा०४ ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में सभी आरोपीगण द्वारा उसके पिता माखनसिंह की लाठियों से मारपीट करना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि जिस समय झगडा हुआ था वह घर पर नहीं था तथा जब वह घर पर पहुंचा था तो उसके पिता बेहोश डले थे एवं उसके पिता के पैर से खून निकल रहा था। इस प्रकार साक्षी आकाश अ०सा०४ के उक्त कथन से यह दर्शित है कि यद्यपि उक्त साक्षी ने आरोपीगण को माखनसिंह की मारपीट करते हुए नहीं देखा था परंतु उक्त साक्षी के कथनों से यह तो प्रकट होता है कि उक्त साक्षी घटना के तत्काल बाद मौके पर पहुंचा था और उसने फरियादी माखनसिंह को घायल अवस्था में देखा था।
- 29. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारायह तर्क किया गया है कि फरियादी माखनसिंह को चबूतरे से गिरने से चोटें आई थी उक्त बिंदु पर बचाव पक्ष की ओर से केशव सिंह वा0सा01 को भी परीक्षित कराया गया है। केशवसिंह वा0सा01 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि माखनसिंह चबूतरे से गिर गया था तथा उसके गिरने से चोटें आई थी उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि माखनसिंह के 2—3 चोटे थी एक चोट माखनसिंह के सिर में थी अन्य चोटें उसने नहीं देखी थी। केशवसिंह वा0सा01 ने माखनसिंह के 2—3 चोटें होना बताया है परंतु चिकित्सकीय रिपोर्ट में माखनसिंह के सात चोटे वर्णित है। केशवसिंह वा0सा01 ने मात्र माखनसिंह के 2—3 चोटें आना बताया है उसके द्वारा माखनसिंह की सात चोटों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में केशवसिंह वा0सा01 के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ताद्वारा फरियादी माखनसिंह को यह सुझाव दिया गया है कि उसके चबूतरे से गिरने से चोटे आई थी उक्त सुझाव को फरियादी माखन सिंह द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा उक्त लिए गए बचाव के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि फरियादी माखनसिंह को गिरने से चोटें आई थी एवं उक्त तर्क से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

- 30. यहां यह भीउल्लेखनीय है कि डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा03 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि दांहिनी हथेली की चोट झगड़े में आई चोट आना प्रतीत नहीं होती है क्योंकि बचाव में हथेली वाला भाग आगे किया जाताहै। यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी03 के अनुसार फरियादी माखनसिह की दांहिनी हथेली में पीछे की तरफ नीलगू निशान पाया गया था एवं उक्त चोट में अस्थिमंग भी पाया गया था। डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा03 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उक्त चोट झगड़े में आना प्रतीत नहीं होती है परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सक द्वारा मात्र उक्त संबंध में अपनी राय दी गई है डॉ आलोक शर्मा अ0सा03 झगड़े के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। फरियादी माखनसिह अ0सा01 का ऐसा कहना नहीं है कि उसने मारपीट के दौरान बचाव में हाथआगे किया था जिससे उसके हथेली में चोट आई थी ऐसी स्थित में यह नहीं माना जा सकता है कि फरियादी माखनसिह के दांहिनी हथेली में पीछे की तरफ मारपीट के दौरान चोट नहीं आ सकती है। उक्त बिंदु पर डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा03 की राय स्वीकारयोग्य नहीं है एवं मात्र चिकित्सक की उक्त राय से फरियादी के कथनों को अविश्वसनीय नहीं मानाजा सकता है।
- 31. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि फरियादी द्वारा रंजिशन आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान है तो भी रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है यदि रंजिश के कारण फरियादी द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही आरोपीगण द्वारा फरियादी की मारपीट भी की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता हैं।
- 32. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक को परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। प्रकरण में फरियादी माखनिसह अ०सा०1 के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं एवं फरियादी माखनिसह अ०सा०1 ने प्र०पी०1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को पूर्णतः प्रमाणित किया है यद्य पि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक को परीक्षित न कराना अभियोजन की प्रक्रियात्मक त्रुटि है एवं उक्त त्रुटि से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 33. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी माखनसिंह अ०सा०1 ने आरोपी जितेन्द्र, परमाल सिंह एवं शिवनारायण द्वारा उसकी लाठियों से मारपीट करना बताया है तथा यह भी बताय है कि आरोपी जितेन्द्र द्वारा की गई मारपीट से उसके दांहिने हाथके पंजे में अस्थिमंग कारित हुआ था। फरियादी माखनसिंह अ०सा०1 के कथन कासमर्थन ऐंदल अ०सा०2 एंव आकाश अ०सा०4 द्वारा भी किया गया है उक्त सभी साक्षीगणका बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्याप्त प्रतिपरीक्ष्ज्ञण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षियों के कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं आरोपीगण की ओरसे उक्त तथ्यों के खंडन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। फरियादी माखनसिंह अ०सा०1 द्वारा घटना की सूचना यथाशीघ्र थाने परदी गई है। फरियादी माखनसिंह अ०सा०1

काकथन तात्विक बिंदुओं पर प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। फरियादी के कथनों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी हो रही है एवं जहां फरियादी का कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट हो वहां फरियादी के कथनों पर अविश्वास नहीं कियाजा सकता है।

- 34. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आरोपी जितेन्द्र सिंह, शिवनारायण एवं परमाल सिंह द्वारा फरियादी माखनसिंह की लाठी से मारपीट की गई थी एवं प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि आरोपी जितेन्द्र द्वारा की गई मारपीट से फरियादी माखनसिंह को अस्थिभंग कारित हुआ था।
- 35. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी परमाल सिंह शिवनारायण एवं जितेन्द्र सिंह के मध्य फरियादी माखनसिंह को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था। प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना के समय आरोपी परमालसेंह, शिवनारायण एवं जितेन्द्र सिंह घटनास्थल परमौजूद थे एंव उक्त सभी आरोपीगण द्वारा फरियादी माखनसिंह की लाठियों से मारपीट कर उसे उपहित कारित की गई थी प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि आरोपी जितेन्द्र ने फरियादी माखनसिंह के दांहिने हाथ के पंजे में लाठी मारीथी जिससे फरियादी माखनसिंह को अस्थिन्नमंग कारित हुआ था। यह उल्लेखनीय है कि आरोपीगण के मध्य फरियादी की मारपीट का सामान्य आशय निर्मित था अथवा नहीं इसका निर्धारण आरोपीगण के कृत्य एवं प्रकरण की परिस्थितियों से ही हो सकता है। उक्त संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य आना संभव नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी माखनसिंह के कथनों से यह दर्शित है कि सभी आरोपीगण द्वारा उसकी लाठियों से मारपीट की गई थीएवं जहां सभी आरोपीगण फरियादी की मारपीट कर रहे हों एवं उनमें से किसी एक आरोपी द्वारा की गई मारपीट से फरियादी को अस्थिमंग कारित होताहै तो सभी आरोपीगण उक्त कृत्य के लिए दायित्वाधीन होंगे। फलतः प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि सभी आरोपीगण के मध्य फरियादी माखनसिंह को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था जिसके अग्रसरण में आरोपी जितेन्द्र ने फरियादी माखनसिंह की लाठि से मारपीट कर उसे अस्थिमंग कारित कर उसे गंभीर उपहित कारित की थी।
- 36. प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी शिवनारायण, जितेन्द्र एवं परमालसिंह पर फरियादी माखनसिंह की मारपीट के लिए भादसं की धारा 325 का आरोप विरचित किया गया है एवं उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि फरियादी माखनसिंह को अस्थिभंग आरोपी जितेन्द्र द्वारापहुंचाई गई चोट से कारित हुआ था ऐसी स्थिति में आरोपी जितेन्द्र का कृत्य भादसं की धारा 325 एवं आरोपी शिवनारायण तथा परमालसिंह का कृत्य भादसं की धारा 325/34 की परिधि में आता है यद्यपि आरोपी शिवनारायण एवं परमाल सिंह पर भादसं की धारा 325/34 काआरोप विरचित नहीं किया गया है परंतु उक्त आरोपीगण पर भादसं की धारा 325 का आरोप विरचित किया गया है ऐसी स्थिति में आरोपी शिवनारायण एवं परमालसिंह को भा.दं.सं की धारा 325/34 के अंतर्गत भी विधिअनुसार दंडित किया जा सकता है।
- 37. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण ने फरियादी माखनसिंह को स्वेच्छया उपहित कारित की थी। उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य दीवाल को लेकर विवाद हुआ था एवं उक्त विवाद में आरोपीगण द्वारा फरियादी माखनसिंह की लाठी से

<u> 11 के आपराधिक प्रकरण कमांक 944/2014</u>

मारपीट कर उसे गंभीर उपहित कारित की गई थी। आरोपीगण वयस्क व्यक्ति है एवं घटना दिनांक को यह समझने मे सक्षम थे कि उनके द्वारा जिन आयुधों से फरियादी माखनिसंह की मारपीट की जा रही थी उनसे फरियादी को उपहित कारित होना संभावित थी। आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उनके द्वारा प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुये फरियादी माखनिसंह को उपहित कारित की गई थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी माखनिसंह को स्वेच्छया उपहित कारित की गई थी।

- 38. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 06/10/14 को शाम 06:00 बजे फरियादी माखनसिंह के मकान के बगल में ग्राम जिमलेदार का पुरा में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी माखनसिंह की लाठी से मारपीट कर उसे अस्थिमंग कारित कर स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी जितेन्द्र को भदसं की धारा 325 एवं आरोपी शिवनाराण एवं परमालसिंह को भा0द0सं० की धारा 325/34 के अंतर्गत दोषी पाती है।
- 39. समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपीगण को भा0द0स0 की धारा 294 एवं 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त करते हुए आरोपी जितेन्द्र को भा0द0स0 की धारा 325 एवं आरोपी शिवनारायण तथा परमाल सिंह को भादसं की धारा 325/34 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोष सिद्ध करती है।
- 40. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च: -

- 41. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावें।
- 42. आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। आरोपीगण द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा जिस तरह से फरियादी की मारपीट कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की गई है उन परिस्थितियों में आरोपीगण को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित है। फलतः यह न्यायालय आरोपी जितेन्द्र को भा०द०स० की धारा 325 एवं आरोपी शिवनारायण तथापरमाल को भा०द०स० की धारा 325 एवं आरोपी शिवनारायण तथापरमाल को भा०द०स० की धारा 325 एवं

निम्नानुसार दण्ड से दण्डित करती है :-

स.क.	आरोपी का नाम	धारा भा0द0स0	कारावास (सश्रम)	अर्थदण्ड राशि रूपये	व्यतिकम सश्रम
1	जितेन्द्र	325	एक वर्ष	2000 (दो हजार)	एक माह
2	शिवनारायण	325/34	एक वर्ष	2000 (दो हजार)	एक माह
3	परमाल	325/34	एक वर्ष	2000 (दो हजार)	एक माह

- 43. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।
- 44. प्रकरण में जप्तशुदा लाठी एवंसरिया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात तोड तोड कर नष्ट किए जावें अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।
- 45. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे है उसके संबंध मे धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहे है। तदानुसार सजा वारंट बनाये जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 19/01/2018 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0) सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

